विधानसभा प्रश्न
[17/3/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 723]

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक. एफ 13–03 / 2020 / 47,   भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2020

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय,
भोपाल ।

विषयः– विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 723 द्वारा : माननीय श्री रणवीर जाटव, विधायक ।

000

विधानसभा के आगामी मार्च –अप्रैल 2020 सत्र में दिनांक 17.03.2020 को सदन में उत्तर देने हेतु नियत अतारांकित प्रश्न क्रमांक 723 में चाही गई जानकारी व्यापक एवं विस्तृत स्वरूप की है । अतः मध्यप्रदेश विधान सभा प्रश्नों की ग्राहयता हेतु आवश्यक नियम एवं अन्य मुख्य शर्ते की कण्डिका 1.36(16)तथा 2 (1) के अन्तर्गत कृपया उक्त प्रश्न अग्राहय किये जाने का अनुरोध है ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

29/2/20

(जे0समीर लकरा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग
दूरभाष–(0755) 2512025

v-s j-27-08-2013

Scanned by CamScanner

F 13-4/2020/47

3

174
26-2.2020

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **09/03/2020**

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/03/2020** विभाग का नाम : **भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास**

विषय : **न्यायलीन प्रकरणों में प्रकरण प्रभारी एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने बाबत।**

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : **723) श्रीरणवीर जाटव**

क्या **भोपाल गैस त्रासदी मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक संचालनालय गैस राहत एवं पुर्नवास के अधीन कार्यरत कितने अधिकारियों / कार्मचारियों के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन हैं ? उनके नाम प्रकरण क्रमांक सहित उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें ? (ख) विचाराधीन प्रकरणों में विभाग द्वारा किन-किन प्रकरणों में किस-किस में कब-कब व कौन-कौन को प्रकरण प्रभारी अधिकारी बनाया गया ? किन-किन व कब-कब के प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक प्रकरण प्रभारी क्यों नही बनाया गया है ? (ग) विचाराधीन प्रकरणों में विभाग द्वारा किन-किन प्रकरणों मे कब-कब जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ? किन - किन प्रकरणों में प्रश्न दिनांक तक जवाबदावा क्यो प्रस्तुत नहीं किया गया है? (घ) क्या म.प्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा समस्त विभागों में समय-समय पर एकजाई आदेश जारी कर समयसीमा में प्रकरण प्रभारी एवं जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, उक्त निर्देशों की अवहेलना का समयावधि में प्रकरण प्रभारी की नियुक्ति एवं जवाबदावा प्रस्तुत नही करने वाले दोषियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रकरण प्रभारी की नियुक्ति एवं जबावदावा प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

Sent From : Vidhan Sabha | **Sent Date :** 24/02/2020 06:10:41 | **Target Date :** 03/09/2020

Remark :

US(GA)
AU (GA)

26.2.20

26/2

R-04

Scanned by CamScanner